तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

राजस्व वाद संख्या 05/2020 (2020/00195) अनवान राजेश नागर बनाम दल्लाराम वगैरा दावा बाबत अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

11-8-25

पत्रावली आज पेश हुई। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में दिनांक 03.08.2021 को ग्राम बोरानाड़ा के खसरा नम्बर 1/2 रकबा 22.19 बीघा किस्म बारानी प्रथम का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 60 के हिस्से को रेकर्ड अनुसार प्राथमिक आदेश/डिक्री आदेश पारित किये गये थे। जिसके सम्बन्ध में बटवाडा प्रस्ताव हेतु तहसीलदार झंवर को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार झंवर के पत्रांक/कोर्ट/2025/220 दिनांक 09.07.2025 के द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि ग्राम बोरानाडा के खसरा नम्बर 1/2 रकबा 22.19 बीघा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 67 की सामलाती भूमि से बटवाडे हेतु वादी राजेश नागर के मोबाईल नम्बर 9928886333 पर संपर्क करने पर वादी राजेश नागर ने बताया कि उन्होने किसी प्रकार का वाद दायर नहीं किया तथा वाद में दायर उनके नाम से आगे पिता का नाम जाति निवासी पता भी गलत है तथा प्रतिवादी संख्या वाद में दायर नाम चैनाराम पुत्र पुनाराम सुथार निवासी बारूला गांव पोकरण से सम्पर्क किया तो उन्होने बताया कि उनके भूखण्ड का बैचान कर दिया। उक्त खसरा संख्या 1/2 में आवासीय भूख़ण्डो में विभता है। प्लोटिंग की हुई है।

अतः तहसीलदार झंवर की रिपोर्ट के आधार पर वादी का वाद दावा बाबत अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी